(Authoritative English text of this Department notification No.Home(A)E(3)43/2011 dated 6.09.2012 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Home Department.

NOTIFICATION

No. Home (A) E (3)43/2011 Dated: Shimla-171002, 6.09. 2012.

In pursuance to sub section (1) of section 357A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Himachal Pradesh in co-ordination with the Central Government is pleased to frame the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:_

Short title: 1. This Scheme may be called the Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme, 2012.

Definitions: 2. In this Scheme unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974).

(b) "Annexure" means the Annexure-I of the Scheme on which application under the scheme has to be submitted by the applicant;

(c) "Applicant" means the victim or the person making an application on behalf of the victim where he or she, due to physical or mental in- capacity, is

unable to submit the same or where the victim has died, includes his legal heirs;

(d) "Fund" means the Himachal Pradesh Victim Compensation Fund constituted under the Scheme;

(e) "Schedule" means Schedule appended to the Scheme;

(f) "State" means State of Himachal Pradesh;

(g) "Legal Service Authority" means the State/District Legal Services Authority, as the case may be, constituted under the Legal Services Authorities Act,1987; and

(h) "Victim" means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression "victim" includes his or her guardian or legal heir;

Victim Rehabilitation Fund

3 (1) There shall be constituted a fund namely Himachal Pradesh Victim Compensation Fund from which an amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim who has suffered loss or injury as a result of a crime and who requires rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The fund shall be operated by the Secretary, State Himachal Pradesh, Legal Services Authority.

Eligibility for Compensation

4. (1) A victim shall be eligible for the grant of compensation :-

(a) Where the Court under sub section (2) of section 357A of the Act makes a recommendation or an application is made under sub section (4) of section 357A of the Act to the State or District Legal Services Authority within 90 days of recording of FIR.

(b) Where the trial Court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 of the Act is not adequate for such rehabilitation, or where the case ends in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated and a recommendation by the Court for compensation is made.

Provided that the victim, within reasonable time frame, gives information to the officer-in-charge of a Police Station of the commission of crime within the limits of such station or to a Judicial Magistrate empowered to take cognizance of such offence arising out of the crime:

Provided further that the victim cooperates with the police and prosecution during investigation and trial of the case:

Provided also that the application is made on Annexure-I to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed(for award of compensation as provided in sub section(4) of section 357A of the Act).

2.(a) Such recommendation or application, as the case may be, shall be transferred to the District Legal Services Authority of the District where the crime was committed.

(b) Where the crime is committed partly in one local area and partly in another or where it consists of several acts done in different local areas, the District Legal Services Authority having jurisdiction over any of such local areas may proceed under section 357A of the Act.

3. A victim would also be eligible for grant of compensation where the offender is not traced or identified, and where no trial takes place.

Procedure for grant of compensation

5. (1) Whenever under sub section (2) of section 357A of the Act, a recommendation for compensation is made by the Court, or an application is made to the District Legal Services Authority for award of compensation, the said Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim arising out of the reported crime .

(2) During the course of verification, the District Legal Services Authority, may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim and shall after due enquiry, award compensation within sixty days, in accordance with provisions of the Schedule.

(3) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, to elevate the suffering of the victim, may order for immediate interim aid facility or medical benefit to be made available free of cost on the certificate of police officer not below the rank of officer –in charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit.

(4) Where the victim or his/her dependents have suffered more than one injury or loss, the compensation payable in each individual case shall only be for the severest injury or loss suffered as a result of the crime.

(5) Compensation so paid shall be subject to the condition that if the Court while passing the judgment in the case arising out of the crime, orders of the accused person(s) to pay any amount by way of compensation under sub-

section (3) of section 357 of the Act, an amount equivalent to compensation so paid under section 357A of the Act shall be remitted by the Court directly to the State or the District Legal Services Authority, as the case may be, by whom the compensation had been paid under the Scheme.

(6) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim on the basis of type and severity of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred for treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case, depending on the facts of such case and subject to such limits as prescribed in the Schedule.

(7). The quantum of compensation to be awarded under the Scheme shall be remitted into the Bank Account provided in the application. As far as practicable, the amount may be transferred electronically, so as to provide efficacious and speedy disbursement to the victim from the fund. In case where the victim is a minor or mentally ill, the amount shall be remitted to the Bank Account of his /her parent

or guardian after the State or District Legal Services Authority, as the case may be, awarding the compensation would be properly utilized in the interest of and welfare of such minor or mentally ill victim.

(8). In relation to the crime in question, the payments so received by the victim on account of insurance claim, ex-gratia etc. under any other Act or Scheme(s), shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments so received by the victim from collateral sources mentioned above, only the balance amount shall be payable out of the fund.

(9). The cases covered under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal shall not be covered under the Scheme.

Non admissibility of compensation in certain cases

6. No compensation shall be admissible under the scheme where :-

(a) the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime; or

(b) the incident is so belated that no evidence would be forthcoming.

Refund of compensation in certain cases **7.** (1) Where the applicant after receipt of compensation under the scheme :-

(a) fails to cooperate with the police or prosecution during investigation and trial of the case ; or

(b) victim has failed to give all reasonable assistance to the State or District Legal Services Authority in connection with the proceedings under the Scheme; or

(c) furnishes, as true, information relating to the crime which he knows or has reason to believe to be false; or

(d) being legally bound by an oath or affirmation to state the truth in relation to the crime to any public servant or other person authorized by law to administer such oath or affirmation, makes any statement which is false or knows or believes to be false ; or

(e) gives false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding ; or

(f) causes any evidence of the commission of the offence to

disappear with the intention of screening the offender from legal punishment or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false

(2) The District Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme shall be informed in writing of the said fact by the police or the prosecuting agency, as the case may be .

(3) On receipt of such information the District Legal Services Authority may serve a notice upon the applicant, calling upon him/her to show cause as to why the compensation under the Scheme so received by as the case may be him/her may not be refunded back to the State or District Legal Services Authority.

(4) The State or District Legal Services Authority by whom the compensation was awarded under the Scheme after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued and after giving the victim a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding as to whether the amount of compensation so received deserves to be refunded by the victim to such authority within a period of sixty days from such order, failing

which the said amount shall be recovered from the victim as arrears of land revenue.

Order to be placed on record 8. The Court at the time of ordering compensation under sub section(3) of section 357 of the Act shall take into account any sum paid as compensation under the Scheme and copy of such order of compensation made under section 357A of the Act shall be placed on record of the Court .

Limitation. 9. (1) No claim made by the victim under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of ninety days of the crime.

(2)The District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

Appeal **10.** (1) An applicant aggrieved by the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order.

(2)The State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

(3) An applicant aggrieved by the orders of the District Legal Services Authority calling upon him/her to refund the compensation as provided in sub para (3) of para 8 of the Scheme may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days from the date of such order .

(4) No appeal shall lie against the orders of the State Legal Services Authority.

Accounts and Audit: **11.** (1)The State and the District Legal Services Authorities shall maintain proper accounts of the fund and other relevant records and prepare an annual statement of accounts.

(2) The Accounts shall be audited by the Examiner, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

By Order,

Principal Secretary(Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. No. As above, Dated: Shimla-2, 6.09. 2012.

Copy forwarded to the following for information and necessary action to:-

1 Registrar General, Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

2 All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
3 All the District & Sessions Judges in Himachal Pradesh.
4 Secretary, State Legal Services Authority,SDA Complex Kasumpti Shimla-9.
5 All the Heads of Department, Himachal Pradesh.
6 All the Deputy Commissioner, Himachal Pradesh.
7 All the District Superintendent of Police Himachal Pradesh.
8. The Controller Printing & Stationary, Himachal Pradesh,Shimla-5 for publication of the Notification in the Rajpatra. He is requested to upload the notification in the Rajpatra and make available a copy of Gazettee to this department.

Deputy Secretary (Home)to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-I

1. Name of the victim:
2. Age of the victim:
3. Name of the parents
   (a) Father:
   (b) Mother:
4. Address:- -----------House No.---------
   Village/Ward-----
   Tehsil---------
   District--------
   PIN----------
   Telephone----------
   Mobile--------------
5. Date and time of the incident;
6. Place of the incident:

7. (i) Name and details of the applicant.

   (ii) Relationship with the victim(dependent family members or any other, specify, in case the application is made on behalf of a minor, mentally ill/mentally challenged victim or on the death of the victim.

8. Whether FIR has been lodged or complaint has been made to the Judicial Magistrate?

   (a) If yes, state the date, time and place alongwith the copy of FIR/ information.

   (b) If not, reasons thereof.

9. Whether the victim has previously lodged any claim for compensation in respect of the same crime.

   (a) If yes, details thereof

10. Whether medical examination has been done ?

(a) if yes, copy of MLC (if available).

(b) If not, reasons thereof ?

11. Enclose death certificate(where death of the victim has taken place as a result of the crime).

12. Reasons for delay, if any, in filing application under the Scheme within 90 days of recording of FIR.

13. Details of Bank Account,……...Name of Bank------------

Branch------------

Account No.--------

Place Signature of the applicant with

Address for correspondence.

Dated:

List of enclosures:

(1) Copy of FIR or complaint made to the Court.

(2) Copy of Medical Report.

Schedule of compensation under the Himachal Pradesh (Victim of Crime) Compensation Scheme,2012.

The compensation payable for the injury or loss suffered by a victim of a crime(including an acid attack) shall be in the following manner:-

1. Rs. 1,00,000/- in case of death or disability equal to or more than 80%.
2. Rs. 50,000/- in case of acid attack.
3. Rs.50,000/- in case of loss of limb etc. where the permanent disablement is equal to or more than 40% but less than 80% and is certified by a Govt. Doctor or Doctor from the panel approved by the Government.
4. Rs.25,000/- in case of grievous hurt, certified by a Govt. Doctor or Doctor from the panel approved by the Governemnt.
5. Rs.50,000/- in case of rape or unnatural offence, establishment in the Medico Legal Report.
6. Rs. 24,000/- in case of Human Trafficking .

Note: For the purpose of this Schedule, permanent disablement of a victim shall be deemed to have resulted if he has suffered any injury or injuries involving:-

(a) privation of the sight of either eye or the hearing of either ear, or privation of any member or joint, or

(b) destruction or impairing of the powers of any member or joint; or

(c) disfiguration of the head or face.

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

संख्याःगृह(क)ई(3)43/2011तारीखः शिमला–2, 6.09.2012 ।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का अधिनियम संख्यांक–2) की धारा 357–क की उपधारा(1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के समन्वय से , ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसे किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति हुई है और आश्रितों जिनका पुनर्वास अपेक्षित है, को प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने हेतु निमनलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्ः–

1.संक्षिप्त नामः इस स्कीम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश(अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम,2012 है ।

2.परिभाषाएंः– इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) "अधिनियम" से दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973(1974 का अधिनियम संख्यांक 2) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से स्कीम का उपाबंध–1 अभिप्रेत है, जिस पर स्कीम के अधीन आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना है;

(ग) "आवेदक" से पीड़ित व्यक्ति या जहाँ वह शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है या जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति की ओर से

आवदेन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके विधिक वारिस भी हैं;

(घ) “निधि” से स्कीम के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश, पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(ङ) “अनुसूची” से इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(छ) “विधिक सेवा प्राधिकरण” से विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अधीन गठित,यथास्थिति,राज्य/जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अभिप्रेत है; और

(ज) “पीड़ित व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कृत्य या लोप जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, के कारण हुई किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और पद पीड़ित व्यक्ति के अन्तर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी हैं ।

3.पीड़ित व्यक्ति पुनर्वास निधि

(1) हिमाचल प्रदेश, पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी, जिसमें से इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम ऐसे पीड़ित व्यक्ति को संदत्त की जाएगी, जिसको किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है तथा जिसका पुनर्वास अपेक्षित है ।

(2) राज्य सरकार, प्रति वर्ष स्कीम के प्रयोजन के लिए अलग से बजट आबंटित करेगी ।

(3) निधि को सचिव, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा ।

4. प्रतिकर के लिए पात्रता

(1) पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा जहांः–

(क) न्यायालय, अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा(2) के अधीन कोई सिफारिश करता है अथवा अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा(4) के अधीन, प्रथम इत्तला रिपोर्ट को अभिलिखित करने के नब्बे दिन के भीतर, राज्य या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को आवदेन किया गया है;

(ख) विचारण न्यायालय का, विचारण के निष्कर्ष पर, यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर, ऐसे पुनर्वास हेतु पर्याप्त नहीं है, अथवा जहाँ मामले की समाप्ति दोषमुक्ति या उन्मोचन से होती है तथा पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास किया जाना है और न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की गई है;

परंतु पीड़ित व्यक्ति,युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर हुए अपराध की या ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए

सशक्त किसी न्यायिक दण्डाधिकारी को, सूचना देता हैः

परंतु पीड़ित व्यक्ति मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान, पुलिस और अभियोजन के साथ सहयोग करता हैः

परंतु यह और भी कि जहाँ अपराध किया गया था, वहां जिला के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को, उपाबंध–1 पर(अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा(4) में यथा उपबंधित प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु) आवदेन किया गया है ।

2(क) यथास्थिति, ऐसी सिफारिश या आवदेन को, ऐसे जिला के जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को अन्तरित किया जाएगा, जहां अपराध किया गया था;

(ख) जहां अपराध, भागतः एक स्थानीय क्षेत्र में और भागतः अन्य क्षेत्र में या जहां यह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए विभिन्न कार्यों से मिलकर किया जाता है, वहां ऐसे किन्हीं स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाला जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 357–क के अधीन कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) पीड़ित व्यक्ति, प्रतिकर प्रदान करने के लिए तब भी पात्र होगा,जब अपराधी को

खोजा या पहचाना नहीं जाता है, और जहां कोई विचारण नहीं किया जाता है ।

5\. प्रतिकर प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

(1) जहां अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकारण को प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु आवदेन किया जाता है, वहां उक्त प्राधिकारण, मामले का परीक्षण करेगा तथा पीड़ित व्यक्ति को रिपोर्ट किए गए अपराध से उद्‌भूत हुई हानि या क्षति की बाबत दावे की अन्तर्वस्तु सत्यापित करेगा ।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यापन के अनुक्रम के दौरान,दावे की प्रमाणिकता अवधारित करने के आशय से कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मँगवा सकेगा और सम्यक् जांच करने के पश्चात्, अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार साठ दिन के भीतर प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा ।

(3) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए, पुलिस अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो या सम्बद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर, खर्च के बिना अंतरिम सहायता सुविधा या कोई अन्य अंतरिम राहत, जिसे समुचित प्राधिकारी उचित समझे, तुरन्त उपलब्ध करवाए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(4) जहां पर पीड़ित व्यक्ति को एक से अधिक क्षति पंहुची है या हानि हुई है,वहां प्रत्येक व्यक्ति के मामले में, प्रतिकर, केवल, अपराध के परिणामस्वरूप हई गम्भीरतम क्षति या हानि के लिए संदेय होगा ।

(5) इस प्रकार संदत्त प्रतिकर,इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि न्यायालय, अपराध से उद्भूत मामले में निर्णय देते हुए, अभियुक्त व्यक्ति को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा(3) के अधीन प्रतिकर के रूप में कोई रकम संदत्त करने का आदेश देता है,तो अधिनियम की धारा 357–क के अधीन इस प्रकार संदत्त प्रतिकर के बराबर की रकम का, न्यायालय द्वारा सीधे,यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, जिसके द्वारा स्कीम के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया था परिहार किया जाएगा ।

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, पीड़ित व्यक्ति को कारित हानि के प्रकार और गम्भीरता,उपचार के लिए उपगत किए जाने वाले चिकित्सा व्यय, ऐसे आनुषंगिक प्रभारों, जैसे अन्तयेष्टि व्यय इत्यादि सहित, पुनर्वास के लिए न्यूनतम पोषण रकम के आधार पर पीड़ित व्यक्ति को अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय किया जाएगा । प्रतिकर,

ऐसे मामलों के तथ्यों पर निर्भर करते हुए और अनुसूची में यथाविहित सीमाओं के अध्यधीन, विभिन्न मामलों में भिन्न –भिन्न हो सकता है ।

(7) स्कीम के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा, आवेदन में दिए गए बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी। रकम यथा साध्य,इलैक्ट्रोनिक्स माध्यम से अन्तरित की जा सकेगी, ताकि पीड़ित व्यक्ति को निधि से प्रभावकारी और शीघ्र संवितरण प्रदान किया जा सके । पीड़ित व्यक्ति के अवयस्क होने या मानसिक रूप से बीमार होने की दशा में रकम,यथास्थिति, जब राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर अधिनिर्णित करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि, उसका, ऐसे अव्यवस्क या मानसिक रूप से बीमार पीड़ित व्यक्ति के हित में और कल्याण के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जाएगा, तो उसके माता–पिता या संरक्षक के बैंक खाते में विप्रेषित की जाएगी ।

(8) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य अधिनियम या स्कीम(मों) के अधीन बीमा दावा, अनुग्रहपूर्वक रकम(एक्स ग्रेशिया) इत्यादि के लेखे में इस प्रकार प्राप्त संदाय, इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की रकम का भाग समझा जाएगा और यदि उपयुक्त

प्रतिकर की रकम, उपरोक्त वर्णित सहवर्ती स्त्रोतों से, पीडित द्वारा इस प्रकार प्राप्त संदाय से अधिक होती है, तो निधि में से केवल अतिशेष रकम ही संदय होगी ।

(9)मोटरयान अधिनियम,1988(1988 का 59) के अधीन आने वाले मामले,जहाँ प्रतिकर मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अधिनिर्णित किया जाना है, इस स्कीम के अधीन नहीं आएंगे ।

6. कतिपय मामलों में प्रतिकर की अग्राहयता	स्कीम के अधीन कोई प्रतिकर अनुज्ञेय नहीं होगा, जहाँः– (क) पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पहले ही कोई दावा दाखिल किया हो; या (ख) घटना इतनी विलम्बित हो गई हो कि कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो।
7. कतिपय मामलों में प्रतिकर का प्रतिदाय	(1) जहाँ आवेदक, स्कीम के अधीन प्रतिकर प्राप्त करने के पश्चात् – (क) मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस या अभियोजन के साथ सहयोग करने में विफल रहता है; या (ख) स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को समस्त युक्तियुक्त सहायता देने में विफल रहता है; या (ग) अपराध की बाबत जानकारी, सच के रूप में देता है जिसे वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है; या

(घ) ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान करने वाले किसी लोक सेवक को या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपराध के संबंध में सत्य का कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा, विधिक रूप से बाध्य होते हुए कोई कथन करता है, जो मिथ्या है या वह जानता है या विश्वास करता है कि यह मिथ्या है; या

(ङ)न्यायिक कार्यवाही के किसी भी स्तर पर मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी स्तर पर भी उपयोग करने के प्रयोजन के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है; या

(च) विधिक दण्ड से अपराधी की जांच के आश्य से, अपराध करने के विलोपन के लिए कोई साक्ष्य कारित करता है या उस आशय से किसी अपराध की बाबत, जो उसकी जानकारी में मिथ्या है, कोई सूचना देता है ।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके द्वारा स्कीम के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया था को, यथास्थिति, पुलिस या अभियोजन अभिकरण द्वारा उक्त तथ्य को लिखित में सुचित करना होगा ।

(3) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदक को कारण बताओ नोटिस की तामील कर सकेगा कि स्कीम के अधीन उसके

द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रतिकर को, यथास्थिति, राज्य/विधिक सेवा प्राधिकरण को क्यों न वापस कर दिया जाए ।

(4) राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके द्वारा प्रतिकर प्रदान किया गया था, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करके, और पीड़ित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निष्कर्ष को अभिलिखित करके, कि क्यों न इस प्रकार प्राप्त की गई प्रतिकर की रकम, ऐसे आदेश से साठ दिन की अवधि के भीतर,पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्राधिकरण को प्रतिदत्त की जानी चाहिए ऐसा न होने पर उक्त रकम को पीड़ित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाए ।

८. आदेश को रिकार्ड पर प्रस्तुत करना

न्यायालय, अधिनियम की धारा 357 की उपधारा(3) के अधीन प्रतिकर का आदेश करते समय, स्कीम के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि को लेखे में लेगा और अधिनियम की धारा 357–क के अधीन किए गए प्रतिकर के ऐसे आदेश की प्रति, न्यायालय के रिकार्ड में रखी जाएगी ।

9. परिसीमा

(1) अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा(4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे को, अपराध किए

जाने के नब्बे दिन की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, विलम्ब से दावा दायर करने के लिए छूट दे सकेगा ।

10. अपील

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के इन्कार से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण का यदि समाधान हो जाता है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, विलम्ब से अपील दायर करने के लिए छूट दे सकेगा ।

(3) स्कीम के पैरा 8 के उपपैरा(3) में यथा उपबंधित प्रतिकर का प्रतिदाय करने के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से व्यथित आवेदक, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकेगा ।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध, कोई अपील दायर नहीं की जाएगी ।

11. लेखा और संपरीक्षा

(1) राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निधि और अन्य सुसंगत अभिलेखों के समुचित लेखे अनुरक्षित करेंगे

और लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेंगे ।

(2) लेखों की संपरीक्षा,परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या–यथोपरि । तारीख शिमला–2 06.09,2012 ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महापंजीयक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला–171001 ।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
4. सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.डी.ए. काम्पलैक्स, शिमला–171009 ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त जिला उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश ।
8. नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि वह उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करने की कृपा करें ।

उप सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–1

1. पीड़ित व्यक्ति का नामः

2. पीड़ित की आयुः

3. माता–पिता का नाम

(क) पिताः

(ख) माताः

4. पताः....................मकान संख्या.....................

ग्राम/वार्ड.............................

तहसील..............................

जिला.................................

पिन कोड संख्या................

दूरभाष संख्या....................

मोबाईल संख्या..................

5. घटना की तारीख और समय........................

6. घटना का स्थान..

7. (i) आवेदक का नाम और ब्यौरे..............

(ii) पीड़ित व्यक्ति के साथ सम्बन्ध परिवार का सदस्य या कोई अन्य(आश्रित, यदि आवेदन अवयस्क, मानसिक रूप से बीमार/मानसिक रूप से आपेक्षित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में किया गया है, तो विनिर्दिष्ट करें)।

8. क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दायर की गई है या शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट को की गई है ?..

(क) यदि हाँ, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट /सूचना की प्रति सहित, तारीख, समय और स्थान बताएं..........

(ख) यदि नहीं, तो उसका कारण................

9. क्या पीड़ित व्यक्ति ने उसी अपराध की बाबत प्रतिकर के लिए पहले ही कोई दावा दायर किया है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे.... ....

10. क्या चिकित्सा परीक्षण किया गया है.............

(क) यदि हां, तो एम.एल.सी. की प्रति(यदि उपलब्ध है) ।

(ख) यदि नहीं, तो उसका कारण ?............................

11. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे जहां अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो..............

12. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दायर करने के नब्बे दिन के भीतर स्कीम के अधीन आवेदन दायर नहीं किया गया है, तो विलम्ब का कारण, यदि कोई है।

13. बैंक खाते के ब्यौरे...............

बैंक का नाम..............

शाखा.........................

खाता नम्बर...............

स्थानः

तारीखः

आवेदक के हस्ताक्षर

पत्राचार के लिए पते सहित

संलग्नकों की सूचीः

(1) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या न्यायालय में की गई शिकायत की प्रति ।

(2) चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति ।

हिमाचल प्रदेश(अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम,2012 के अधीन प्रतिकर की अनुसूची ।

किसी अपराध(तेजाब के आक्रमण सहित) से पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्षति या हानि ग्रस्त होने के प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संदेय होगाः–

1. मृत्यु या अस्सी प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक की निःशक्तता की दशा में..........1,00,000/–रूपए ।
2. तेजाब से आक्रमण की दशा में...........50,000/रूपए ।
3. किसी अंग की हानि आदि की दशा में, जहां स्थायी निःशक्तता चालीस प्रतिशत के बराबर या चालीस प्रतिशत से अधिक है किन्तु अस्सी प्रतिशत से कम है और किसी सरकारी डाक्टर या सरकार द्वारा अनुमोदित डाक्टर के पैनल द्वारा प्रमाणित की गई है................50,000/रूपए ।
4. किसी सरकारी डाक्टर या सरकार द्वारा अनुमोदित डाक्टरों के पैनल द्वारा प्रमाणित घोर उपहति की दशा में..... 25,000/रूपए ।
5. चिकित्सा विधिक रिपोर्ट में प्रमाणित बलात्कार या अप्राकृतिक अपराध की दशा में ....50,000/रूपए ।
6. मानव दुर्व्यवहार की दशा में......24,000/रूपए।

<u>टिप्पणः–</u> इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए पीड़ित व्यक्ति की निःशक्तता, प्रमाणित की गई समझी जाएगी, यदि वह निम्न में से अन्तर्वलित किसी प्रकार की क्षति या हानि से ग्रस्त हैः–

(क) दोनों में से किसी एक आंख की दृष्टि या दोनों में से किसी एक कान,किसी अंग या जोड़ का विच्छेद;या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या ह्रासन; या

(ग) सिर या चेहरे का विद्रूरूपण।